न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 68/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/272

अनवान्

1. श्रीमती पुष्पाकुंवर पिता चेनसिंह पत्नी गिरवरसिंह उर्फ फतेहसिंह राजपूत निवासी सोलंकियो की भागल लालमादडी तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द।

.............प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती इन्द्रकुंवर पत्नी चेनसिंह राजपूत निवासी देवाली तहसील मावली।
2. श्री हरिसिंह पिता चेनसिंह राजपूत निवासी देवाली तहसील मावली।
3. श्रीमती सोहनकुंवर पुत्री चेनसिंह पत्नी हिम्मतसिंह राजपूत निवासी वाडी तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
5. सब रजिस्ट्रार साहब मावली तहसील मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री भगवतसिंह राणावत, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. श्री पवन सेन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 27.11.2025

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा देवाली पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली की आराजी नम्बर 1189/946, 769, 789 किता 3 कुल रकबा 1.2626 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं।

2. यह कि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का पारिवारीक सजरा इस प्रकार :–

चेनसिंह (मूल पुरूष)(फौत)

सोहनकुंवर	हरिसिंह	पुष्पाकुंवर	इन्द्रकुंवर
विपक्षी सं.3	विपक्षी सं.2	प्रार्थीया	विपक्षी सं.1

3. यह कि वर्णित सजरे अनुसार मूल पुरूष चेनसिंह (मृतक) थे जिनकी मृत्यु के बाद उनके वैध उत्तराधिकारी प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 हैं जो प्रार्थीया मृतक चेनसिंह की वैध पुत्री है तथा विपक्षी संख्या 1 इन्द्रकुंवर मृतक चेनसिंह की पत्नी है तथा विपक्षी संख्या 2 हरिसिंह तथा विपक्षी संख्या 3 सोहनकुंवर मृतक चेनसिंह के क्रमशः पुत्र व पुत्री हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:42 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मौरूसी मिल्कियत की होकर मूल पुरूष मृतक चेनसिंह जी के खाते दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद उनके वैध उत्तराधिकारी होने के कारण प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रत्येक के 1/4 खाते राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मौरूसी मिल्कियत की होने के कारण प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक व हिस्सा वेस्ट करता है लेकिन विपक्षी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीया को अपने हक व हिस्से से वंचित करने की नियत से किसी अजनबी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मे अपने सम्पूर्ण हिस्से को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर हस्तान्तरित करने पर तुले हुवे है जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस कारण प्रार्थीया मृतक चेनसिंह जी के खाते की कृषि भूमियों में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने की प्रार्थीया अधिकारी है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4, 1/4 वेस्ट करता है इस कारण प्रार्थीया उक्त आराजीयात में पृथक रूप से 1/4 हिस्सा अपने नाम घोषित करा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवाने की अधिकारीणी है तथा प्रार्थीया के हिस्से में विपक्षीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा उक्त आराजीयात में से मृतक चेनसिंह की कृषि भूमियों में विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से किसी भी प्रकार से विपक्षी संख्या 1 व 2 किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण नहीं करे इस बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया विपक्षीगण के विरूद्व प्राप्त करने की अधिकारीणी है तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण कर देवे तो पुनः स्थिति यथावत् करवाने की प्रार्थीया अधिकारीणी हैं।

5. यह कि प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीया मृतक चेनसिंह की वैध उत्ताधिकारी होकर मृतक चेनसिंह के नाम दर्ज जमीन में प्रार्थीया विपक्षीयों के बराबर 1/4 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी है इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 व 2 मृतक चेनसिंह से विरासत में प्राप्त कृषि भूमि किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करते है तो प्रार्थीया को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका अंकन अर्थ में किया जाना सम्भव नहीं होगा। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को विपक्षी संख्या 1 व 2 किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं करे, न करावें तथा प्रार्थीया को उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करे, न करावें, न ही उक्त आराजीयात से प्रार्थीया को बेदखल करे, न करावें तथा विपक्षी संख्या 4 व 6 राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:42 IST
Reason: SelfAttested

रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे तथा विपक्षी संख्या 5 उक्त वर्णित आराजीयात के संबंध में विपक्षी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार का हस्तान्तरण विलेख पंजीयन करावे तो न करे, न करावें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं।

7. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीया, विपक्षी संख्या 3 के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकने का कथन कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है:–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थीया उक्त भूमि की वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीया का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की मौरूसी सम्पति होकर पूर्व में मूल पुरूष चेनसिंह के नाम पर दर्ज थी जो विरासत से विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई तथा विपक्षी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि को अन्य अजनबी क्रेता को विक्रय करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारीणी हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीया के पिता चेनसिंह के नाम पर दर्ज थी परन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा इस कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीया के पिता चेनसिंह के नाम पर दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:42 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीया के पिता चेनसिंह के नाम दर्ज थी जो चेनसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज हुई परन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा इस कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीया के पिता चेनसिंह के नाम दर्ज हो एवं चेनसिंह की विरासत से विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज हुई हो।

इसी प्रकार प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा किसी अजनबी क्रेता को विक्रय करने पर आमादा है परन्तु प्रार्थीया द्वारा वर्ष 2022 में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें किसी प्रकार की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं थी यदि विपक्षी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा होते तो अवश्य ही अब तक विक्रय कर चुके होते परन्तु प्रार्थीया द्वारा लगभग 3 वर्षों में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि विपक्षी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा हो अर्थात् विक्रय कर दी गई हो।

प्रार्थीया द्वारा मौरूसी भूमि होना बताकर घोषणा चाही गई है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की मौरूसी होना प्रतीत होता हो। विपक्षी संख्या 1, 2 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *<u>सुविधा का संतुलन</u>*– प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से यदि विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1, 2 को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीया के विरूद्व साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *<u>अपूरणीय क्षति</u>*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीया खातेदार के विरूद्ध अस्थाई [illegible] जारी करवाना चाहती है परन्तु प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण अथवा दस्तावेज [illegible] नहीं किये जिससे यह साबित हो सके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:42 IST
Reason: SelfAttested

कि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। इसलिए यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा देवाली पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 334 पर दर्ज आराजी नम्बर 1189/946, 769, 789 किता 3 कुल रकबा 1.2626 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया जिन कथनो के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अपनी मौरूसी सम्पति होना बताकर विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहती है उन कथनो के सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीया का हित निहित होना प्रतीत हो। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजो के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजो के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:42 IST
Reason: SelfAttested